



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन

इन्दौर-452001

क.सं.वि.क./वि.वि. प्रॉ. बोर्ड / 2024-25/362

दिनांक 13 JUN 2025

// ज्ञाप //

विनियम क्रमांक 20 (अध्यादेश क्रमांक 7 की कंडिका-15 के अन्तर्गत) की कंडिका 2 (1) के अनुसार सत्र 2024-2025 एवं 2025-2026 (दो वर्ष) हेतु कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09/05/2025 मे लिए गये निर्णयानुसार डॉ सचिन शर्मा, आचार्य, आई.एम.एस.देअविवि, इन्दौर को विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड का चीफ प्रॉक्टर नियुक्त किया जाता हैं।

डॉ. सचिन शर्मा को नियमानुसार रु. 200/- प्रतिमाह मानदेय की पात्रता होगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पू. क.सं.वि.क./वि.वि. प्रॉ. बोर्ड / 2024-25/362

दिनांक 13 JUN 2025

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. सचिन शर्मा; आचार्य, आई एम.एस., देअविवि, इन्दौर।
2. वि.वि. प्रॉक्टोरियल बोर्ड के समस्त सदस्य, देअविवि, इन्दौर।
3. वि.वि. प्रॉक्टोरियल बोर्ड के स्थायी समिति के समस्त सदस्य, देअविवि, इन्दौर।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर।
5. विभागाध्यक्ष/निदेशक, समस्त अध्ययनशालाएँ, देअविवि, इन्दौर।
6. प्राचार्य/प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय, जिला - इन्दौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर।
7. माननीय कुलगुरुजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर।
8. वित्त नियंत्रक, लेखा विभाग देअविवि, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. उ.कु.स. स्थापना कार्यपरिषद् के निर्णय के संबंध में पालन प्रतिवेदनार्थ।
10. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेंटर, वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण